956 936

# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

**NON JUDICIAL**

| | |
|---|---|
| **Receipt Number :** | 83bda90ff862813c0167 |
| **Receipt Date :** | 10-Feb-2022 11:36:28 am |
| **Receipt Amount :** | 26440/- |
| **Amount In Words :** | Twenty Six Thousands Four Hundred And Forty Rupees Only |
| **Token Number :** | 20220000017045 |
| **Office Name :** | SRO - Palamu |
| **Document Type :** | Sale Deed |
| **Payee Name :** | SHWETA DEVI FOR GURDIAN OF MINOR SON LACHHAY KUMAR SON OF NAVIN KUMAR ( Vendee ) |
| **GRN Number :** | 2209764571 |

-: For Office Use :-

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अधीन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1 ... क्र.सं. ... के अनुसार यथावत स्टाम्प सहित

10/2/2022

निबंधन पदाधिकारी

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय

Scanned with OKEN Scanner

**Transaction Success!** Please Note Your Transaction Id

| Name | ShwetaDeviForGurdianOfMinorSonLachhayKumarSonOfNavinKumar |
|---|---|
| Token No / Depositor ID | 20220000017045 |
| Amount | 26440 |
| Transaction ID | 83bda90ff862813c0167 |
| GRN | 2209764571 |
| CIN | 1706956791 |
| Time | 2022-02-10 11:36:28 |

कोरोना को हराना है सफाई को अपनाना है दो गज की दूरी मास्क है जरूरी

श्वेता देवी

Scanned with OKEN Scanner

661000 26440

अभिप्रमाणित
किस्मत मेहता दस्तावेज लिपिक
ला०नं०–11/93 मेदिनीनगर

प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट संख्या 145 मुक्त है।

A (1) 19830
L. L. R. 1
R. Fee 19834

Online Fee Paid
ID/GRN No. 2209764387

# बिक्रय–पत्र

1. **लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पताः–**

श्री लालसा सिंह उर्फ लाल सिंह पिता का नाम स्व0 सर्वजीत सिंह सभी सामान्य जाति (CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम बैरिया, पोस्ट सुदना थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड, पेशा गृहस्थी, नागरिकता भारतीय। PAN AKYPS1503Q

शपथ पत्र सं0 563 दिनांक– 10.2.22

2. **लेख्यधारी का नाम एवं पुरा पताः–**

श्रीमती श्वेता देवी पति का नाम श्री नवीण कुमार, सामान्य जाति ( CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान ग्राम रक्सेल तेन्दुआ पो0 हल्का थाना हरिहरगंज जिला पलामू पेशा गृहिणी नागरिकता भारतीय, वहैसियत अभिभविका नाबालिग़ पुत्र लछय कुमार पिता का नाम श्री नवीण कुमार, सामान्य जाति ( CNT ACT 1908 के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं), निवास स्थान ग्राम रक्सेल तेन्दुआ पो0 हल्का थाना हरिहरगंज जिला पलामू। PAN EJAPD3151C

शपथ पत्र सं0– 564 दिनांक– 10.2.22

अभिप्रमाणित

किस्मत मेहता द... ...िक

...0 - 11 / ... ...र

10 02/22 ... 10 ...

पूर्वाहन में

पिता/पति

ग्राम

थाना ... ज़िला

जाति ... पेशा

... हेतु कार्यालय में उपस्थित किया।

Scanned with OKEN Scanner

3. **लेख्यप्रकारः–** बिक्रय–पत्र (Sale Deed)

4. **क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यः–** मुबलीग 6,61,000/– (छः लाख एकसठ हजार) रूपये मात्र।

**ख) देय मूल्यः–** मुबलीग 6,61,000/– (छः लाख एकसठ हजार) रूपये मात्र।

**5. सम्पतिः–** भूमि 03 (तीन) डी0 जो आवासीय योग्य है, अन्दर ग्राम बैरिया, अंचल कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर, जिला पलामू हक़ियत लेख्यकारी को उतराधिकार में प्राप्त है। दस्तावेज के साथ बिक्री भूखण्ड का नक्शा संलग्न है जो दस्तावेज का अभिन्न अंग है ।

**भूमि का विवरणः–**

| थाना नं0 | तौजी नं0 | खेवट नं0 | हल्का नं0 | मौजा |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 51 | 01 | 01 | बैरिया |

| खाता नं0 | प्लौट नं0 | रकबा | चौहदी |
|---|---|---|---|
| 11<br>(ग्यारह ) | 145<br>(एक सौ पैतालीस) | 03 (तीन) डी0 | उ0– रानी अमर लाता<br>द0– बिकेता नीज<br>पू0– पुकार सिंह का हाता<br>प0– पूर्व से दस फीट चौड़ा रोड |

**नगर निगम होल्डिंग नं0 03A0000029000M0**

**वार्षिक लगान–** अनुमानित 3/– रू0 अलावे सेस।

**लगान पाने वाला–** झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त कंडिका पांच में वर्णित जमीन लेख्यकारी को उताराधिकार में प्राप्त है, लेख्यकारी के पिता जी के स्वर्गवास होने के बाद लेख्यकारी एवं इनके भाईयों के बीच आपसी बंटवारा हो गया, और इसी आधार पर नामांतरण वाद सं0 989 वर्ष 2001–02 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड लेख्यकारी के नाम से कम्प्युटरीकृत पंजी 2 के भाग वर्तमान 5 पृष्ट सं0 21 पर चलता है। उक्त भूमि पर बिक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल–कब्जा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का ऋणभार, अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति हकीयत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

चुंकि लेख्यकारी को अपने विविध आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए रूपये की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका प्रबन्ध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नही हुआ है। अतएव इस संबंध में बिक्रेता परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार–विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने–अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए और सबों ने इसका अलग–अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भली–भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किए तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किए। बिक्रेतागण भी इस मूल्यांकन के प्रत्येक बिन्दु को उचित तथा अधिकतम मूल्य देखकर सौदे को क्रेता के साथ पक्का कर लिये।

देय मूल्य की पूरी रकम लेख्यधारी ने लेख्यधारी को भुगतान कर दिये हैं, अब लेख्यकारी को लेख्यधारी से एक रुपया भी पाना शेष नहीं रह गया है इसलिए यह केवाला आज से ही पूरी तरह से असर में आ गया और उपर वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल—कब्जा दे दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में बिक्रेता को आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे अथवा भविष्य में इनके उतराधिकारी को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को और इनके उत्तराधिकारी को पूरी सम्पति पर अधिकार प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें, उक्त भूमी पर मकान बनवा कर निवास करें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे अब लेख्यकारी या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारी को कुछ भी सम्बंध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल—खारीज करा लें तथा सालाना माल देकर इसके लगान की रसीद को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

लेख्यकारी ने लेख्यधारी को अच्छी तरह समझा दिये हैं कि उपर वर्णित सम्पति में मेरे द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी सस्थान से ऋण ईत्यादी नहीं लिया गया है, इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपाई करने के लिए लेख्यकारी सदैव तैयार रहेंगे ।

इस दस्तावेज में वर्णित सरकारी भूमी वन विभाग की भूमी मंदिर मस्जिद की भूमी भूदान से प्राप्त भूमी नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमी नहीं है तथा इसके हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

इसलिए लेख्यकारी नें अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ्यता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (केवाला बय—ला कलामी) को क्रेता के

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष में लिखवा कर सही पाकर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिये जो भू–सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंककः– श्वेता देवी

किस्मत मेहता

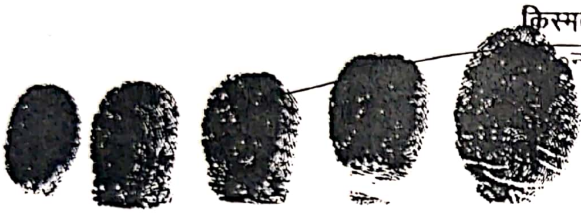

मैं किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन–जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बांये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ताः– किस्मत मेहता (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला0 नं0 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक है।